

क्रमांक :- एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/00750/2023

जयपुर, दिनांक 09/02/2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र

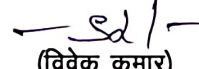
राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर/सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क. स.	मेरिट न. / रोल न.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	2814/2013	ईशिता पारीक	निदेशालय खाद्य सुरक्षा, जयपुर	MA (Economics)	University of Rajasthan, Jaipur
2	289192/2018	कल्पना पालीवाल	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, मुख्यालय, उदयपुर	MA (Political Science)	MLSU, Udaipur
3	286706/2018	इन्द्र कुमार सिसोदिया	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चूरू	MA (English)	IGNOU, New Delhi
				MA (MLIS)	VMOU, Kota
4	251467/2018	कृष्ण कुमार यादव	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	MSC(CS)	VMOU, Kota

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।


(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष.....।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
3. सम्बन्धित कार्मिक.....।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी